लेख

लिंग संवेदी शौचालय व महिला सुरक्षा

प्रभा खोसला

शहर अधिक सुरक्षित व रहने योग्य बनेंगे अगर उनका नियोजन व प्रारूप महिलाओं व लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। यह हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ शौचालयों और बेहतर स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाएं हर नागरिक का बुनियादी अधिकार हैं। यह भी सच है कि पानी व स्वास्थ्य सुविधाओं पर निवेश, गंदगी, खराब सुविधाओं व संक्रमित पीने के पानी के कारण होने वाले दीर्घकालीन स्वास्थ्य के नुकसान की लागत से कम ही है।

शौचालयों व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी महिलाओं व लड़कियों के लिए खतरे पैदा करती है। कम रोशनी तथा अनुपयुक्त जगहों पर स्थित सार्वजनिक शौचालयों व खुले मैदानों का इस्तेमाल करते समय महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। अनेकों महिलाओं के साथ नहाने या शौचालय जाते समय छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटनाएं घटी हैं। सुरक्षित और आरामदायक माहौल में अपने दैनिक कार्यो जैसे शौच, नहाना, कपड़े धोना न कर पाना लड़कियों को शर्मिंदा व अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है।

महिलाओं व लड़कियों को ध्यान में रखकर निर्मित शहरों में सुरक्षा व सम्मान सतत शहरी नियोजन व प्रारूपण का अभिन्न नियम होता है। यह महिलाओं की सुरक्षित, साफ़ व सामर्थ्य योग्य शौच सुविधाएं मुहैया कराता है। महिलाओं व लड़कियों के लिए इन सेवाओं की उपलब्धता युवा लड़कों, पुरुषों, विकलांगों के लिए भी उपयोगी रहेंगी। हम भलीभांति परिचित हैं कि बगीचों, सड़कों, गलियों व मैदानों में पुरुष, खुलेआम पेशाब करते पाए जाते हैं। सार्वजनिक जगहों को शौचालय की तरह उपयोग करने की पुरुषों की यह आदत महिलाओं की आवाजाही और आज़ादी से घूमने-फिरने के हक़ पर अंकुश लगाती है। यह पर्यावरण को अस्वस्थ व गंदा करती है तथा अन्य नागरिकों के साथ-साथ पुरुषों के लिए भी तकलीफ़ें पैदा करती है।

हालांकि यह सच है कि काफी शहरों व कस्बों में सार्वजनिक शौचालय मौजूद हैं पर यह भी सच है कि अधिकांश महिलाएं व लड़कियां गंदगी, अनुपयुक्त जगह पर स्थित होने अथवा खराब प्रशासन और असुरक्षित माहौल के कारण इनका इस्तेमाल नहीं करतीं। अक्सर शौचालय महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों व बच्चों के आसान व सुविधाजनक उपयोग को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते। कुछ शौचालय इतने छोटे होते हैं कि उसमें घूमकर बैठना ही मुश्किल होता है, फिर बच्चों के साथ इस्तेमाल तो दूर की बात है। पर्स, दुपट्टा, शाल टांगने के लिए खूंटी या सहारा लेकर उठने-बैठने के लिए रेलिंग का भी अभाव होता है। सामुदायिक शौचालयों में पानी बाहर से भरकर लाना पड़ता है और अक्सर वहां पर माहवारी के समय कपड़े धोने की सुविधा नहीं होती। निम्न आय इलाकों के सामुदायिक शौचालयों में नहाने व कपड़े धोने की व्यवस्था भी नहीं होती।

उचित शौचालय सुविधाओं का अभाव महिलाओं व लड़कियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हम अक्सर महिलाओं व लड़कियों पर लगाए जाने वाले सामाजिक नियंत्रणों और मनाहियों को इससे जोड़कर नहीं देखते। उदाहरण के लिए दिल्ली में बवाना व भल्स्वा पुनर्वास बस्तियों में *जागोरी* व *एक्शन इंडिया* ने पिछले दो वर्षों में नगरपालिका द्वारा मुहैया सेवाओं, आधारभूत सुविधाओं, व महिलाओं की सुरक्षा की समीक्षा करने पर

ढाका में महिला शौचालय का निर्माण

पाया कि पानी भरने व शौचालय इस्तेमाल करने की कतार में लड़कियों को सुबह इतना अधिक समय लग जाता है कि उन्हें स्कूल भूखा ही जाना पड़ता है।

भल्स्वा की लड़कियों की शिकायत है कि स्कूल में शौचालय सुविधा नहीं है। उन्हें शौच के लिए वापस घर आना पड़ता है जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है। बवाना के स्कूल में शिक्षकों के लिए शौचालय है परन्तु छात्राएं उनका उपयोग नहीं कर सकतीं। आठ सौ से भी अधिक लड़कियों के लिए केवल दो शौचालय हैं। लड़के व लड़कियां इनका उपयोग अलग-अलग शिफ्ट में करते है। गंदे, बदबूदार इन शौचालयों में माहवारी का कपड़ा धोने या पैड फेंकने का कोई इंतज़ाम नहीं है जिसके कारण लड़कियां माहवारी होने पर स्कूल से छुट्टी लेती हैं।

इसके साथ ही बवाना में कई माता-पिता ने बताया कि वे अपनी बेटियों की जल्दी शादी करना चाहते हैं क्योंकि उपयुक्त मूल सुविधाओं के अभाव में सुरक्षा एक चिंताजनक मुद्दा है। उन्हें लड़कियों का रात को खुले मैदान में जाना उचित नहीं लगता और बलात्कार का डर हमेशा बना रहता है। सुरक्षित और उपयुक्त शौचालय सुविधाओं का अभाव लड़कियों के अधिकारों का हनन करता है और जीवन में चयन के मौकों को भी सीमित करता है। दोनों इलाकों में महिलाएं व लड़कियां शाम के समय कम खाती हैं जिससे दैनिक क्रियाओं को नियंत्रण में रखा जा सके।

उपर्युक्त सभी तर्को से यह स्पष्ट उभर कर आता है कि लिंग संवेदी शौचालय व सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय ब्लॉक शहरी जीवन को अधिक आरामदायक बनाकर सभी नागरिकों को काम व आराम के समान मौकों का लाभ उठाने में सहायक होंगे।

महिलाओं व लड़कियों के लिए लिंग संवेदी शौचालयों का निर्माण करते समय निम्न दो मुख्य बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला—उपयोग करने वाली महिलाओं, लड़कियों, युवा लड़कों, बुजुर्गों, विकलांगों के साथ निर्माण में लगने वाले समान, बैठने की सुविधा व अन्य व्यवस्थाओं, माहवारी, स्वच्छता सुविधाओं, शौचालयों के प्रारूप (पेशाब/मल का निकास, साफ़-सफ़ाई, प्रबंधन, कपड़े टांगने की सुविधा आदि) पर सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। जहां संभव हो सके स्नानघर और कपड़े धोने-सुखाने की सुविधा भी मुहैया कराई जानी चाहिए। दूसरा—शौचालय निर्माण में सततता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक हो सके पारम्परिक ज्ञान, जल-सफ़ाई सेवा में पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र व उपयुक्त तकनीकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक और तरीका है जगह के भौगोलिक व सांस्कृतिक संदर्भ को मद्देनज़र रखते हुए शुष्क शौचालयों का निर्माण।

लिंग संवेदी शौचालय के प्रारूपण में निम्न प्रमुख बातों को शामिल किया जाना चाहिए:

- ऐसी जगह का चुनाव जिसमें सुरक्षा व एकान्त दोनों हो।
- शौचालय में अंदर व बाहर उचित जगह का प्रावधान तथा रोशनी व हवा के आवागमन के लिए रोशनदान, झिर्री, झरोखे आदि।
- खुले दरवाज़े व उपयुक्त लम्बाई-चौड़ाई जिसमें मोटे स्त्री-पुरुष व गर्भवती महिलाएं व छोटे बच्चे आसानी से प्रवेश कर सकें। ऊंची दीवारें व ज़मीन तक पहुंचने वाले दरवाज़े जिससे गोपनीयता रखी जा सके। दरवाज़ों को अंदर से बंद करने के लिए कुंडी व ताला।
- शौचालय के भीतर नल व बेसिन।
- विकलांगों, बुजुर्ग/बीमार महिलाओं व बच्चों को चढ़ने के लिए सुविधाजनक चबूतरे।
- चबूतरे व फर्श पर आसानी से साफ़ होने वाली निर्माण सामग्री का उपयोग। चबूतरे का सही ढलान जिससे सफ़ाई के बाद पानी पूरी तरह निकाला जा सके।
- बैठने वाले शौचालय में हाथ से पकड़ने वाली रेलिंग बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं के लिए खास उपयोगी रहेगी।
- बच्चों के लिए विशेष तौर पर बैठने वाले शौचालयों का निर्माण।

एक अन्य बात जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है वह है—शौचालय ब्लॉक। ब्लॉक का दरवाज़ा तथा ब्लॉक दोनों

को आराम, उपयोगिता व सुरक्षा के अनुसार बनाया जाना चाहिए जहां महिलाएं व लड़कियां शारीरिक व यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहें। स्कूल व रिहाइशी दोनों इलाकों पर स्थित शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के समय लड़कों व लड़कियों दोनों से बात की जानी चाहिए कि उनके लिए क्या अधिक सुविधाजनक रहेगा। खासकर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक के निर्माण से उन्हें ज़्यादा सुरक्षा का एहसास होता है। शौचालय ब्लॉक के निर्माण में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना उचित रहेगाः

- चारों ओर से बंद शौचालय व ऊंची दीवारें ब्लॉक जिससे गोपनीयता बनी रहे।
- ब्लॉक के भीतर उपयुक्त जगह जिससे महिलाएं/लड़कियां खड़ी रह सकें।
- अलग-अलग ऊंचाई/लम्बाई वाले नल/बेसिन ।
- कूड़ेदान व महावारी के गंदे कपड़े/पैड फेंकने की उचित व्यवस्था।
- स्नानघर सुविधाएं (सुरक्षा, निकास, हवा, लम्बाई चौड़ाई, ऊंचाई का विशेष ध्यान)।
- कपड़े धोने के लिए सिमेंट के टब। पुरुष शौचालयों में भी कपड़े धोने की व्यवस्था।
- पानी के निकास के लिए उचित ढलान/नाली।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम महिलाओं व लड़कियों के लिए सुरक्षित आरामदायक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे वे बतौर नागरिक अपने अधिकारों का पूर्ण व सम्मानजनक उपयोग कर सकें।